

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

मांडल

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम मीमाडियास की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 को खाता संख्या 15, 16, 17 में मेरा नाम सांवरलाल पुत्र मोहन जाट है जबकि मेरा सही नाम सांवरलाल पुत्र मोहन जाट है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

सांवरलाल

2025/461

दिनांक

Mo No 56847514

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम मीमाडियास के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 खाता संख्या 15, 16, 17 में प्रार्थी का नाम सांवरलाल पुत्र मोहन जाट दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आधार काड व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम सांवरलाल पुत्र मोहनलाल है। जो संशोधित कि जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.

कमल 03.10.25

पटवारी

मीमाडियास

रिपोर्ट तहसीलदार सांवरलाल

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर रिपोर्ट पटवारी मीमाडियास व भू.अ.नि. कमल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम मीमाडियास की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 15, 16, 17 में प्रार्थी नाम सांवरलाल के बजाय सांवरलाल किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

03/10/25 तहसीलदार - बपो  
कमल मीमाडियास

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सांवरलाल ग्राम मीमाडियास जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 संख्या 15, 16, 17 में दर्ज प्रार्थी का नाम सांवरलाल के स्थान पर सांवरलाल संशोधन

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा